न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 195/2005 आवेदन 212RTA

1. नाथूराम पुत्र भूराराम (फौत)
2. पन्नीदेवी पत्नि स्व0 भूराराम (फौत)

1/1. मदनलाल
1/2. छोटूराम
1/3. मुकेश
1/4. गोपालसिंह
} पुत्रगण नाथूराम

1/5.अनिता पुत्री नाथूराम

2. सोनीदेवी पुत्री भूराराम (फौत)

2/1. धन्नाराम
2/2. शंकर
2/3. ताराचन्द
2/4. सोहनलाल
2/5. सुवालाल
} पुत्रगण सोनीदेवी

2/6. श्रवणी
2/7. केशरदेवी
2/8. संतोषदेवी
} पुत्रियां सोनीदेवी

2/9. पदमाराम पति सोनीदेवी

3. फूलीदेवी पुत्री भूराराम पत्नि मांगुराम

समस्त जाति जाट निवासिनी ग्राम माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. धूकल
2. जग्गूराम
} पुत्रगण जोधाराम

3. मोढूराम पुत्र जोधाराम (फौत)

3/1. सुभाष
3/2. मुकेश
} पुत्रगण मोढूराम

3/3. संतोष पुत्री मोढूराम
3/4. माली पत्नि मोढूराम

4. सागर मल
5. साधुराम
} पुत्रगण जोधाराम

6. डालूराम पुत्र जोधाराम
7. ननदी देवी बेवा जोधाराम
8. बिड़दूराम पुत्र लूणाराम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

समस्त जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

9. राधादेवी बेवा रामदेव (फौत)

9/1. गणेशी पुत्री राधा देवी पत्नि रामबक्स जाति जाट निवासिनी हाल आबाद पतिगृह ग्राम रेनवाल तह0 रेनवाल जिला जयपुर।

9/2. सुरजीदेवी पुत्री राध देवी पत्नि रामूराम जाति जाट निवासिनी हाल आबाद रानोली पुलिस थाने के पास रानोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

9/3. अमरीदेवी पुत्री राधादेवी पत्नि रामूराम जाति जाट निवासिनी हाल आबाद हाबू का बास तह0 चौमू जिला जयपुर।

9/4. चोखी देवी पुत्री राधा देवी पत्नि मेवाराम जाति जाट निवासिनी हाबू का बास तह0 चौमू जिला जयपुर।

9/5. अणचीदेवी पुत्री राधा देवी पत्नि रामस्वरूप जाति जाट निवासी हाल आबाद ग्राम अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

9/6. सुणीदेवी पुत्री राधादेवी पत्नि छोटूराम जाति जाट निवासिनी हाल आबाद रानोली पुलिस थाने के पास रानोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

10. बोदूराम
11. धूड़ाराम } पुत्रगण रामदेव
12. बीरबल

13. चावली पत्नि भागूराम

14. रिछपाल
15. बाबूलाल } पुत्रगण भागुराम
16. बन्नाराम

17. सुरजाराम पुत्र गुमानाराम (फौत)

17/1. बनवारीलाल
17/2. दौलतराम
17/3. सांवरमल
17/4. बन्शीधर
17/5. महावीर
17/6. शंकरलाल
} पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

17/7. फुलीदेवी पुत्री सुरजाराम

18. डालूराम
19. भागुराम } पुत्रगण गुमानाराम

20. किस्तुरी देवी पत्नि स्व. नाथूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

21. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बुच्यासी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

22. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा(मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

23. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा खाटूश्यामजी

24. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, नन्दलाल धायल, योगेश शर्मा वकील अप्रार्थीगण की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 22.10.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 2176, 2185, 2177, 2178, 2181, 2179, 2182, 2183, 2184, 2187 ता 2190 किता 13 कुल रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा नम्बर 3245 ता 3248, 3250 ता 3253, 3254, 3260, 3262, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3435, 3436, 3260/3805, 3436/3904 किता 20 कुल रकबा 21.73 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतारामपुरा में अवस्थित है जो पैत्रिक है तथा अविभाजित है। उक्त भूमियां पहले ग्राम खाटूश्यामजी में थी व अब ग्राम सीतारामपुरा में है। उक्त भूमियों के पहले खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के पति व पिता स्व0 जोधाराम व अप्रार्थी संख्या 9 ता 16 जो स्व0 रामदेव के वारिसान है, अप्रार्थी संख्या 17 ता 19 के स्व. पिता गुमानाराम तथा प्रार्थी संख्या 1 का पिता उपकृषक था तथा बींजा पुत्र हीरा थे जिनमे सें बींजा पुत्र हीरा के दो पुत्र जग्गू व काना हुए जिनमे सें जग्गू ने अपने हिस्से की कृषि भूमियां प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 20 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया तथा काना ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सें विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया तथा उक्त विवादित आराजियात को राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने सें पूर्व ही प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा स्व0 भूरा पुत्र जीवा 1/3 हिस्से की काश्त किया करता था तथा काबिज था एवं भूरा का नाम उपकृषक जमाबंदी संवत् 2019 सें 2022 में आया गया और गिरदावरियों में संवत् 2013 सें 2023 तक चलता रहा। 2019 के बाद सें गिरदावरियां होना बंद हो गया और खसरा गिरदावरियों में खातेदारों के नाम सें ही जमाबंदियों में नाम अंकित होता रहा। प्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व0 भूराराम का कब्जा एवं काश्त राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने सें पूर्व सें ही चला आ रहा है इस कारण जमाबंदी संवत 2013 सें उपकृषक के रूप में स्व0 भूरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सें 1/3 हिस्से पर आ गया। इसलिए स्व. भूरा कानूनन धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। उक्त स्व0 भूराराम का देहान्त हुए करीब 38 वर्ष हो गये तथा उसके जीवनकाल में प्रार्थीगण काश्त करते रहे तथा काबिज रहे और अब भी प्रार्थीगण स्व. भूरा के 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। विवादित भूमियों में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा पैत्रिक एवं अविभाजित हिस्सा है इसके अलावा प्रार्थी संख्या 1 ने स्व0 बींजा के पुत्र जग्गूराम के 1/8 हिस्से की भूमि क्रय करली तथा 1/16 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 20 को जग्गूराम ने विक्रय करदी है। अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 जोधाराम, स्व0 रामदेव, स्व0 गुमाना, स्व0 बींजा ने आपस में षडयंत्र रचकर संवत 2022 के पश्चात की जमाबन्दीयों में अपने अकेले के नाम खातेदारी करवा ली जबकि प्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व0 भूराराम का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज होते हुए तथा कब्जा व काश्त होते हुए भी अकेले के नाम करवालिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय सें ही विवादित आराजियात को शांतिपूर्वक निर्विवाद काश्त करते चले आ रहे है अतः प्रार्थीगण को स्व0 भूरा के 1/3 हिस्से की भूमि अर्थात 7.10 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने तथा पिछली गिरदावरियों की नकल प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई तथा अप्रार्थीगण द्वारा पहले तो आवश्वासन दिया जाता रहा परन्तु बाद में राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने सें इन्कार होने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात सें प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी और अपने जायज अधिकारों सें वंचित हो जाएंगे। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा किसी को विक्रय, स्थानांतरण आदि करने सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, नन्दलाल धायल हाजिर आये तथा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 भूराराम का नाम अंकन है। प्रार्थीगणों का विवादित भूमियों में हित निहित है।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों सें स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का विवादित भूमियों में कब्जा काश्त रहा है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा संतुलन :–चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है अतः सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान, हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही साबित होता है।

चूंकि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के हितों का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजियात नये खसरा नम्बर 3245 ता 3248, 3250 ता 3253, 3254, 3260, 3262, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3435, 3436, 3260/3805, 3436/3904 किता 20 कुल रकबा 21.73 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतारामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर का तादौराने वाद बेचान न करें, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner